फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

गैंगस्टर में दो अभियुक्त दोषी करार, 15 को सजा

जासं, फर्रुखाबाद : 25 वर्ष पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में दो अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध हो गया है। न्यायाधीश ने दोनों को जेल भेज दिया है। 15 सितंबर को सजा सुनाने की तिथि लगाई गई है।

मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव मुरान निवासी भूपेंद्र सिंह व किशन कुमार के खिलाफ 8 दिसंबर 2001 को तत्कालीन मेरापुर थानाध्यक्ष विजय सिंह ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें गिरोह बनाकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का आरोप लगाया था। विवेचक ने जांच कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश रितिका त्यागी ने भूपेंद्र सिंह व किशन कुमार को गैंगस्टर में दोषी करार दिया है। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

गैंगस्टर एक्ट में दो लोग दोषी करार

फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। वर्ष 2001 में मेरापुर थाने में मुरान गांव निवासी भूपेंद्र सिंह और किशन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय सिंह यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक मुकेश कुमार त्यागी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

गैंगस्टर में दो दोषी 15 को होगी सजा

संवाद न्यूज एजेंसी

मेरापुर थानाध्यक्ष ने 24 वर्ष पूर्व दर्ज कराई थी रिपोर्ट

फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दो को दोषी ठहराया। दोषियों को 15 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।

अदालत से

तत्कालीन थानाध्यक्ष मेरापुर विजय सिंह ने गांव मुरान निवासी भूपेंद्र व उसी गांव के किशन कुमार के खिलाफ आठ दिसंबर 2001 को थाने में गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि भूपेंद्र व किशन गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, मारपीट कर अवैध वसूली करते हैं। क्षेत्र में इन दोनों का इतना भय है कि कोई भी ग्रामीण इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की।

विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह व राजीव गंगवार ने दलीलें दीं। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व सबूतों के आधार पर भूपेंद्र व किशन को दोषी ठहराया।

मीडिया सेल फतेहगढ़

UP76AA1485
GPS Map Camera
फ़र्रूख़ाबाद, उत्तर प्रदेश, India
9hwc+534, कायमगंज रोड, थाना मऊदरवाजा, भीकमपुरा, फ़र्रूख़ाबाद, उत्तर प्रदेश 209625, India
Lat 27.395359° Long 79.570097°
11/09/2025 07:37 PM GMT +05:30
Google